न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–रजनी पालीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–182/17 रा0वाद

अनवान

दुर्गालाल पिता रूपचंद सुनार निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादी।

उपस्थित :–

1–शरद पालीवाल — अधिवक्ता वादी

2–पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद बावत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत

निर्णय — दिनांक 09.07.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद बावत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया गया। उक्त प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में पेश हुआ परन्तु यह न्यायालय अस्तित्व में आने के कारण तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को उजरदारी पेश करने हेतु पूर्व न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाकर सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में प्रतिवादी को अवसर दिये गये। दिनांक 15.5.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा–2018 केम्प ज्ञानगढ पर मिसल प्रस्तुत की गई। राज्य पक्ष द्वारा मुकाम ज्ञानगढ पर प्रस्तुत जवाबदावा रेकार्ड पर लिया गया।

वादी पक्ष द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि मौजा एवं पटवार मण्डल ज्ञानगढ स्थित आ0नं. 2260 में रो 4.00 बीघा भूमि दिनांक 08.01.1986 को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटित की गई। उक्त आंवटनशुदा भूमि वादी को सिपुर्दगी के समय इसके बट्टे नंबर 2569/2260 रकबा 0.10बीघा एवं आ0नं0 2498/2260 रकबा 3.10 बीघा कुल रकबा 4.00बीघा दिनाक 11.7.2000को वादी के जिम्मे सिपुर्द हुई। इस प्रकार वादी 11.07.2000 से निरन्तर काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा कुछ समय पूर्व जमाबंदी की नकले प्राप्त की गई तो आ0नं0 2498/2260 रकबा 5.00 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार दर्शाया गया जबकि उक्त आराजियात के कुल 5.00बीघा भूमि के मुकाबले 4.00 बीघा भूमि पर आंवटी काबिज चला आ रहा है। वादी को वादग्रस्त 4.00बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने की जानकारी के पश्चात् निश्चित अवधि में वादपत्र पेश किया हैं। अतः डिक्री घोषणात्मक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जाकर वादग्रस्त 4.00 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के पक्ष में अभिलिखित किये जाने बावत न्यायालय से घोषणा की मांग की गई।

वादी के वाद पत्र के विरोध राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सं0 2498/2260 रकबा 5.00 बीघा भूमि वर्तमान जमाबंदी में बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है तथा आ0नं0 2569/2260 रकबा 3.00बीघा अन्य खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। राज्यपक्ष द्वारा अपने जवाबदावे के साथ माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्र0सं0 36/2000 गुलाबचंद ढोली निवासी ज्ञानगढ बनाम दुर्गालाल सुनार में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2001 की प्रति प्रस्तुत कराई गई। उक्त निर्णय के मुताबिक प्रार्थी गुलाबचंद का प्रा0पत्र चाहे अस्वीकार किया गया हो परन्तु राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के मुताबिक वादी को आंवटन के मुकाबले भूमि सिपुर्द नही की हुई है एवं वादी के पक्ष में इसी कारण नामान्तरण भी निर्णित नहीं हुआ है।

खंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र,वादपत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा राजस्व अभिलेखों एवं विपक्षी राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का सावधानी पूर्वक अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। राज्यपक्ष का कथन कि आ0नं0 2569/2260 रकबा 3.00 बीघा अन्य खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसे वादी द्वारा जानबूझकर पक्षकार नियोजित नहीं किया गया है एवं भूमि पैमुदगी संबंधी सिपुर्दगी तथा नामान्तरकरण की प्रति एवं जमाबंदी स्वयं के नाम की होने की प्रस्तुत नहीं कराकर तथ्यों को छुपाया गया है। अतः न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में विफल तो रहा ही है अपितु न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी उपरोक्त विवेचन के आधार पर सारहीन एवं पूर्णतथ्य पेश नहीं करने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

:: आदेश ::

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने से मौजा ज्ञानगढ स्थित मूल आ0नं0 2260 तथा बट्टा नंबर 2569/2260 रकबा 0.10बीघा एवं आ0नं0 2498/2260 रकबा 3.10बीघा कुल किता 02 रकबा 4.00बीघा के संबंध में वादी को किसी प्रकार का कोई अनुतोष देय नहीं है। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब होकर पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम कर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

दुर्गालाल पिता रूपचंद सुनार निवासी ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---वादी।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 मुकदमा नं. 182/17 निर्णय दिनांक 09.07.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री शरद पालीवाल मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने से मौजा ज्ञानगढ स्थित मूल आ0नं0 2260 तथा बट्टा नंबर 2569/2260 रकबा 0.10बीघा एवं आ0नं0 2498/2260 रकबा 3.10बीघा कुल किता 02 रकबा 4.00 बीघा के संबंध में वादी को किसी प्रकार का कोई अनुतोष देय नहीं है बाबत डिकी प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करें।

आज तारीख 09.07.2018 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner